गुटखा कंपनी को लाभ पहुंचाने का मामला अब हाईकोर्ट में

दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए पूर्व चीफ कमिश्नर एसकेएस सोमवंशी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

NAI DUNIA NEWS NETWORK
Updated Date: | Sat, 14 Nov 2015 08:43 PM (IST)
Published Date: | Sat, 14 Nov 2015 08:27 PM (IST)

हमें फॉलो करें

गुटखा कंपनी को लाभ पहुंचाने का मामला अब हाईकोर्ट में

विज्ञापन

भोपाल। कस्टम एवं सेंट्रल एक्साइज विभाग के डिप्टी कमिश्नर एसके बंसल ने दागी गुटखा कंपनी को लाभ पहुंचाने और सरकार को 600 करोड़ रुपए के कथित राजस्व नुकसान के मामले में अब हाईकोर्ट की शरण ले ली है। उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। दस्तावेजी साक्ष्य पेश करते हुए पूर्व चीफ कमिश्नर एसकेएस सोमवंशी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले में आवाज उठाने पर उनके साथ बदले की कार्रवाई की गई। अपने ही विभाग के खिलाफ व्हिसिल ब्लोअर बने भिलाई (छत्तीसगढ़) में पदस्थ डिप्टी कमिश्नर बंसल ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने मार्च 2012 में भोपाल में पदस्थ रहते हुए मेसर्स कायपान गुटखा कंपनी द्वारा लगाई गई हाई स्पीड मशीनों पर आपत्ति लगाई थी। इन मशीनों की स्पीड 12 गुना अधिक थी, जिससे करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी होने की आशंका थी। उन्होंने तत्कालीन चीफ कमिश्नर से इसकी जांच चार्टर्ड इंजीनियर के जरिए कराने का आग्रह किया लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे सरकार को अरबों रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ।

उन्होंने सवाल उठाया है कि चीफ कमिश्नर कायपान कंपनी के लगातार संपर्क में थे और उसे लाभ देने का दबाव बना रहे थे। बंसल ने अपनी याचिका में तत्कालीन चीफ कमिश्नर एसकेएस सोमवंशी(अब सेवानिवृत), गुटखा कंपनी मेसर्स कायपान पान मसाला प्रालि मि.गोविंदपुरा भोपाल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, आरडी नेगी एडीजी विजिलेंस दिल्ली (तत्कालीन कमिश्नर) एवं सीबीआई को पार्टी बनाया है।

शिकायत में कहा गया है कि सोमवंशी ने छह महीने में कायपान के डायरेक्टर से 40-45 बार फोन पर क्या चर्चा की, विजिलेंस की भूमिका, तत्कालीन कमिश्नर नेगी ने उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की, उल्टे उनके(बंसल) के खिलाफ बदले की कार्रवाई करते हुए सीबीआई को जांच भेज दी। उनका दावा है कि वह अपनी संपत्ति के बारे में विभाग को पूरी सूचना दे चुके हैं लेकिन उन्हें अनावश्यक परेशान किया गया।

Posted By: Nai Dunia News Networ

k

 # High Court **# case** **# benefit** **# chewing tobacco** **# हाईकोर्ट** **# गुटखा**

Mp

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूर पढ़ें

MADHYA PRADESH

Today in Indore: मराठी नाटक का होगा मंचन, चित्रों की लगेगी प्रदर्शनी, संतों के होंगे प्रवचन

MADHYA PRADESH

Rakshabandhan 2023: रक्षाबंधन का पर्व भद्रा समाप्ति के बाद मनाया जाना शास्त्र सम्मत

CHHATTISGARH

सूने घर से 58 हजार की जेवर और नगदी पार

CHHATTISGARH

भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने नवमतदाताओं का किया अभिनंदन

CHHATTISGARH

कांग्रेस सरकार की योजना से सभी लाभावित : राय

CHHATTISGARH

भटचौरा गोठान में तीन मवेशियों की हुई मौत, बरसात में बचने नहीं की गई व्यवस्था

नईदुनिया

Copyright © 2023 Naidunia.

This website follows the DNPA's code of conduct

For any feedback or complaint, email to:

compliant_gro@jagrannewmedia.com

GOOGLE PLAY

GOOGLE PLAY

This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our **Privacy Policy** and **Cookie Policy**.

OK